



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 26 मई, 2020

ज्येष्ठ 5, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 488/ग्यारह-2-20-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0नियम-2017-आदेश(123)-2020

लखनऊ, 26 मई, 2020

अधिसूचना

प0आ0-127

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं, अर्थात् :-

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (चालीसवां संशोधन) नियमावली, 2020

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (चालीसवां संशोधन) नियमावली, संक्षिप्त नाम 2020 कही जायेगी। और प्रारम्भ

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय यह गजट में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2- उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे आगे उक्त नियमावली नियम 26 का कहा गया है) में, नियम 26 में, उपनियम (1) में, 21 अप्रैल, 2020 से, परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु अग्रतर यह कि किसी भी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जो कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2013) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, को 21 अप्रैल, 2020 से 30 जून, 2020 तक की अवधि के दौरान, धारा 39 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-3ख में प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी को इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड (ईवीसी) के माध्यम से सत्यापित करने की भी अनुमति होगी।”

नया नियम
67क का
बढ़ाया जाना

3-उक्त नियमावली में, नियम 67 के पश्चात् बाद में अधिसूचित किये जाने की तारीख से, निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

“67क, लघु संदेश सेवा सुविधा के द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने की रीति—इस अध्याय में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए, जिससे धारा 39 के अधीन प्ररूप—जीएसटीआर—3ख में किसी कर अवधि की शून्य विवरणी भरना अपेक्षित हो, इलेक्ट्रानिक तरीके से भरे जाने के किसी संदर्भ में उक्त विवरणी को रजिस्ट्रीकृत मोबाइल संख्या का उपयोग करके लघु संदेश सेवा के माध्यम से भरा जाना सम्मिलित होगा और उक्त विवरणी का सत्यापन, रजिस्ट्रीकृत मोबाइल संख्या आधारित ‘वन टाइम पासवर्ड’ की सुविधा के आधार पर किया जाएगा।

स्पष्टीकरण :- इस नियम के प्रयोजन के लिए, ‘शून्य’ विवरणी का तात्पर्य धारा 39 के अधीन किसी कर अवधि से संबंधित किसी ऐसी विवरणी से है, जिसमें प्ररूप जीएसटीआर—3ख की समस्त सारणियों में शून्य दर्शाया गया हो या उसमें कोई प्रविष्टि न हो।”

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 488/XI-2-20-9(42)-17-U.P. GST Rules-2017-Order(123)-2020, dated May 26, 2020:

No. 488/XI-2-20-9(42)-17-U.P. GST Rules-2017-Order(123)-2020

Dated Lucknow, May 26, 2020

IN exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no.1 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (FORTIETH AMENDMENT) RULES, 2020

Short title and
commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Fortieth Amendment) Rules, 2020.

(2) Save as otherwise provided, they shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

Amendment of
rule 26

2. In the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), with effect from the 21st April, 2020, in rule 26, in sub-rule (1), *after* the proviso, following proviso shall be *inserted*, namely :-

"Provided further that a registered person registered under the provisions of the Companies Act, 2013 (Act no. 18 of 2013) shall, during the period from the 21st day of April, 2020 to the 30th day of June, 2020, also be allowed to furnish the return under section 39 in FORM GSTR-3B verified through electronic verification code (EVC)."

Insertion of new
rule 67A

3. In the said rules, *after* rule 67, with effect from a date to be notified later, the following rule shall be *inserted*, namely:-

"67A. Manner of furnishing of return by short messaging service facility—

Notwithstanding anything contained in this Chapter, for a registered person who is required to furnish a Nil return under section 39 in FORM GSTR-3B for a tax period, any reference to electronic furnishing shall include furnishing of the said return through a short messaging service using the registered mobile number and the said return shall be verified by a registered mobile number based One Time Password facility.

Explanation :- For the purpose of this rule, a Nil return shall mean a return under section 39 for a tax period that has Nil or no entry in all the Tables in FORM GSTR-3B."

By order,
ALOK SINHA,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 79 राजपत्र—2020—(156)—599 प्रतियां—(कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 25 सा0 राज्य कर—2020—(157)—3500 प्रतियां—(कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।